न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/304

प्रकरण संख्या 160/22

अनवान

1. श्री नारायण लाल पिता श्री मांगी लाल खटीक निवासी भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर (राज.)।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :— दिनांक :– 04.10.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 703 आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 किता 1 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा प्रार्थी नारायण लाल पिता मांगी लाल खटीक सा.देह के नाम दर्ज हैं। नवीन सेटलमेंट के बाद उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं होकर नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज हो गई जिससें संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कि गई जो इस प्रकार है कि :–

I. यह है कि राजस्व ग्राम भीण्डर की बंदोबस्त विभाग से पूर्व की स्थिति जमाबंदी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 703 आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 किता 1 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा नारायण लाल पिता मांगीलाल खटीक सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं।

II. यह है कि बंदोबस्त विभाग द्वारा भू– प्रबंधन कार्यवाही के पश्चात उपलब्ध कराए रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान जमाबंदी संवत 2078–81 में नवीन खाता संख्या 1897 के आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टर आराजी नम्बर 206 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.8300 हैक्टर भूमि नगरपालिका भीण्डर स्थानीय निकाय विभाग हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

III. प्रार्थनाग्रस्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 जोकि गत जताबंदी सम्बत् 2068–71 अनुसार नारायण पिता मांगीलाल खटीक सा.देह. के

CamScanner

नाम दर्ज रिकॉर्ड है किन्तु हाल सेटलमेंट में उक्त आराजी नम्बर के नवीन आराजी नम्बर नही बनाया है। वर्तमान खातेदार नारायण पिता मांगीलाल खटीक द्वारा अपने कब्जेशुदा भूमि आराजी न. 205 रकबा 0.2800 हैक्टर एवं आराजी न. 206 में से 0.3140 हैक्टर भूमि दर्ज खाते में की जानी प्रार्थी द्वारा अपेक्षित हैं वर्तमान में साबिक आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 किता 1 रकबा 2 बिघा 15 बिस्वा भूमि नारायाण पिता मांगीलाल खटीक सा.देह के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। किन्तु हाल सेटलमेंट द्वारा उक्त साबिक नम्बर के नवीन आराजी नहीं बनाए गए। वर्तमान मौके अनुसार नारायण लाल पिता मांगीलाल खटीक आराजी न. 205 रकबा 0.2800 हैक्टर, आराजी न. 206 में से 0.3140 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.5940 हैक्टर भूमि को कब्जा के रूप में पत्थर की कोट व लम्बे समय से कृषि कार्य हेतु उपयोग में ले रहा है। किन्तु उक्त हाल आराजी नम्बर खातेदार के नाम दर्ज साबिक नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 से ना बनकर साबिक नम्बर 53 मी.शा.न. 1/1, 51, 52 से बने है। नक्शा ट्रेस C अनुसार नारायणलाल पिता मांगीलाल खटीक के नाम आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 206 में से 0.3140 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5940 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2068-71 के खाता संख्या 703 आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 किता 1 रकबा 2 विघा 15 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज थी लेकिन नवीन सेंटलमेंट के बाद उक्त प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं कर नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज कर दी जिसे संशोधित कर उक्त भूमि पुनः प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि खाता संख्या 703 आराजी नम्बर 3643/1 शा.न. 65, 66, 3623 किता 1 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा बंदोबस्त पूर्व प्रार्थी नारायण लाल पिता मांगीलाल खटीक सा.देह के नाम दर्ज थी लेकिन नवीन सेंटलमेंट के बाद उक्त भूमि के नवीन नम्बर आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर व आराजी नम्बर 206 रकवा 0.5500 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.8300 हैक्टयर भूमि नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज हो गई। प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर व आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner

नम्बर 206 रकबा 0.5500 में से 0.3140 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होकर लम्बे समय से कृषि कार्य कर रहा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा नक्शा ट्रेस C अनुसार नारायणलाल पिता मांगीलाल खटीक के नाम आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 206 में से 0.3140 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5940 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों को भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार व माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र कंमाक प.(12) राज.16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि सेंटलमेंट के दौरान हुई त्रुटियों को सुधारा जाना आवश्यक है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थनाग्रस्त आराजी बंदोबस्त पूर्व प्रार्थी के नाम दर्ज थी जिस पर प्रार्थी का वर्तमान में कब्जा होकर कुषि कार्य कर रहा है। नवीन सेंटलमेंट की त्रुटि से उक्त भूमि प्रार्थी के नाम से हटाकर नगरपालिका भीण्डर के नाम दर्ज कर दी गई। जिसे न्यायहित में सुधारा जाना आवश्यक है। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा नक्शा ट्रेस C अनुसार प्रार्थी के नाम आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 206 में से 0.3140 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 0.5940 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर की आराजी नम्बर 205 रकबा 0.2800 हैक्टयर, आराजी नम्बर 206 रकबा 0.5500 में से 0.3140 हैक्टयर, कुल रकबा 0.5940 हैक्टेयर भूमि नगरपालिका भीण्डर के नाम से हटाकर प्रार्थी नारायण लाल पिता मांगीलाल खटीक के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित ट्रेस C अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 04.10.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.11.02 13:41:01 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner